# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 44 / 2023
अनवान : –

1. रोहताश कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

2. किस्तुरी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. दयानन्द पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सतवीर पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट**

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

**निर्णय** दिनांकः 7/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154 / 12 की कुल 2.2644 हैक्ट भूमि में से 5345 / 22644 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रोहताश पुत्र पूर्णराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में रोहताश कुमार पुत्र पूर्णराम है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रोहताश पुत्र पूर्णराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम रोहताश कुमार पुत्र पूर्णराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम रोहताश पुत्र पूर्णराम के स्थान पर सही नाम रोहताश कुमार पुत्र पूर्णराम दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रोहिताश कुमार पुत्र पूर्णराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रोहताश पुत्र पूर्णराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम रोहताश कुमार पुत्र पूर्णराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/12 की कुल 2.2644 हैक्ट भूमि में से 5345/22644 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम रोहताश पुत्र पूर्णराम के स्थान पर रोहिताश कुमार पुत्र पूर्णाराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का नाम रोहताश कुमार पुत्र पूर्णाराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154/12 की कुल 2.2644 हैक्ट भूमि में से 5345/22644 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थी का नाम रोहताश पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर रोहताश कुमार पुत्र पूर्णाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है**। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रोहताश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रोहताश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रोहताश ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:32 IST
Reason: SelfAttested

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 127 दिनांक : 09/02/24

**तहसीलदार,**
**नोहर।**

विषय :— प्रकरण स0 44 / 2023 अनवानी रोहताश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

अनवान :—

1. रोहताश कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

**—प्रार्थी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**— अप्रार्थी**

2. किस्तुरी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. दयानन्द पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सतवीर पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

**— तरतीबी अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136**
**भू—राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 154 / 12 की कुल 2.2644 हैक्ट भूमि में से 5345 / 22644 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिमसें **प्रार्थी का नाम रोहताश पुत्र पूर्णराम के स्थान पर रोहताश कुमार पुत्र पूर्णाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रोहताश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रोहताश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रोहताश ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:32 IST
Reason: SelfAttested